जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/ SD/2953 दिनांक : 16.01.2016

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार ने 01 अप्रैल 2016 के प्रभाव से राज्य में शराबबन्दी करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत प्रथम चरण में देशी एवं मसालेदार शराब की बिक्री पर रोक लगायी जायेगी। राज्य सरकार का यह निर्णय बृहत्तर जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। नशाखोरी के चलते जन सामान्य, विशेषकर निम्न आय वर्ग के परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शराब का घातक प्रभाव पीनेवाले व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं उसकी मानसिक स्थिति पर तो होता ही है, उसके परिवार को भी आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शराबबन्दी को लागू करने की कार्य योजना तैयार की गयी है। इस दिशा में जीविका एवं जीविका से जुड़े समुदाय-आधारित संगठनों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। वस्तुत: इस शराबबन्दी नीति की पृष्ठभूमि में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की ही आवाज है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक रूप से अपेक्षित है कि जीविका, जीविका से जुड़े समुदाय आधारित संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में बढ़-चढ़ कर भाग लें।

अभियान को सफल बनाने की दिशा में विद्यालयों एवं अभिभावकों का उन्मुखीकरण तथा कला जत्था के माध्यम से प्रस्तुत किये जानेवाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन महत्त्वपूर्ण होगा। योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर के साथ ही जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर, संकुल स्तर एवं पंचायत स्तर पर भी अनुश्रवण समितियों का गठन किया जाना है।

इस अभियान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2016 को अपराह्न 03:00 बजे से एस०के० मेमोरियल हॉल, पटना में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से किया जायेगा। उद्‌घाटन कार्यक्रम एवं माननीय मुख्यमंत्री के सम्बोधन का सीधा प्रसारण ई०टी०वी० बिहार, जी० पुरवइया, सहारा तथा कशिश टी०वी० चैनलों पर देखा जा सकेगा जिससे विद्यालयों, पंचायतों, प्रखण्डों, जिला मुख्यालयों में भी इसे लोग देख सकेंगे।

जिला इकाइयाँ ऐसी व्यवस्था करें कि संकुल स्तरीय संगठनों के कार्यालयों में भी इसका अवलोकन किया जा सके। जीविका समुदायों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण का अवलोकन कर सकें, इस हेतु प्रत्येक जिले में 500-1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों में इसकी व्यवस्था सम्बंधित जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है।

एस०के० मेमेरियल हॉल में आयोजित होनेवाले कार्यक्रम में जीविका के समुदाय आधारित संगठनों के लगभग 1000 सदस्यों की उपस्थिति संभावित है। इस दिशा में जिला परियोजना प्रबंधक, पटना की ओर से आवश्यक तैयारी की जायेगी। पटना के अतिरिक्त अन्य जिला इकाइयों से जीविका के समुदाय आधारित संगठनों की कम-से-कम 5 मुखर प्रतिनिधि तथा जिला स्तर से कोई प्रबंधक (जैसे मैनेजर कम्यूनिकेशन) पटना के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। अन्य विभागों से भी ऐसी तैयारी की जा रही है। इस प्रकार इस कार्यक्रम में उपस्थित होनेवाली महिलाओं की कुल संख्या लगभग 2000 होगी।

माननीय मुख्यमंत्री के सम्बोधन के पूर्व नशाबन्दी के पक्ष में संगीत के माध्यम से और नाटक / संगीत / फिल्म इत्यादि का प्रदर्शन कर वातावरण तैयार किया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री के सम्बोधन के उपरान्त शराबबन्दी की दिशा में किये गये सफल प्रयासों तथा जिला स्तरीय कार्ययोजना के विषय में कुछ महिलायें अपना अनुभव बता सकेंगी। तत्पश्चात् कार्यक्रम की सफलता की दिशा में जिला के वरीय पदाधिकारि यों द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए मार्गदर्शन दिया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य जिलों से आनेवाली टीमों को लाने - ले जाने तथा पटना में ठहराव की सुरक्षित व्यवस्था का दायित्व सम्बंधित जिला इकाई का होगा। उपर्युक्त व्यवस्था पर होनेवाला व्यय NRLP एवं NRLM जिलों में IBCB मद के 'ट्रेनिंग एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सी०बी०ओज०' तथा BRLP जिलों में '1.2.2.1 कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सी०बी०ओज०' मद में मानक दर पर किया जायेगा। सी०एल०एफ० में किराये पर प्रसारण पर होनेवाला व्यय '1.2.1.2 other programmes expenses of CBOs' के तहत किया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 1000 रुपये मात्र होगी।

माननीय मुख्यमंत्री के सम्बोधन के पूर्व एवं पश्चात् ऐसे कार्यक्रम का अन्य जिलों में भी आयोजन किया जायेगा जिसका दायित्व सम्बंधित जिला इकाइयों का होगा।

इस अभियान में जीविका के अतिरिक्त शिक्षा विभाग, पंचायती राज प्रतिनिधियों, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, महिला समाख्या, सांस्कृतिक कला जत्था आदि की भूमिका होगी। इस दिशा में सम्बंधित विभागों द्वारा अपनी विभिन्न इकाइयों को निदेश निर्गत किये जा रहे हैं। उपर्युक्त सभी विभागों, संगठनों की स्थानीय इकाइयों के साथ मिलकर जीविका के टीम को संगठित प्रयास करना होगा तभी यह प्रयास सफल होगा।

आदेश के साथ सुलभ संदर्भ हेतु निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 11/नयी उत्पाद नीति-01-03/2015/3893 दिनांक 21.12.2015 की प्रति तथा जिला स्तरीय कार्यक्रम की प्रस्तावित रुपरेखा संलग्न की जाती है।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार,

अनुलग्नक:- यथोक्त।

16.1.2016.

(ब्रजकिशोर पाठक)
विशेष कार्य पदाधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ प्रखंड परियोजना प्रबंधक।
2. सभी प्रोग्राम कॉर्डिनेटर/राज्य परियोजना प्रबंधक/ परियोजना प्रबंधक/राज्य वित्त प्रबंधक
3. निदेशक/ विशेष कार्य पदाधिकारी/ मुख्य वित्त पदाधिकारी/प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट/प्रोक्योरमेंट ऑफिसर/ सहायक वित्त प्रबंधक।
4. आई०टी०सेक्शन।
5. सम्बंधित संचिका।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण 1937 (श0)
(सं0 पटना 1342) पटना, सोमवार, 21 दिसम्बर 2015

सं0 11/नयी उत्पाद नीति–01–03/2015—3893
निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

संकल्प
21 दिसम्बर 2015
नयी उत्पाद नीति, 2015

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा समय–समय पर जारी उत्पाद नीति में पिछले वर्षों में काफी बदलाव हुए। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उत्पाद नीति, 2007 के जरिए हुए, जिसके तहत राज्य में शराब की दुकानों की संख्या तथा उत्पाद शुल्क की व्यवस्था में काफी सुधार किया गया। इस नीति के तहत गैर–कानूनी ढंग से शराब बिक्री पर भी रोकथाम लगाने की कोशिश की गई तथा इसके जरिए राज्य सरकार का यह प्रयास रहा कि जितना भी अवैध व्यापार है, वह कम हो सके तथा इस गैरकानूनी व्यवसाय पर नियंत्रण पाया जा सके एवं इसे वैधिक संरचना के भीतर लाया जा सके। इस नीति के तहत दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में इस प्रकार का बदलाव किया गया, जिससे इस व्यापार के एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगी। यद्यपि इस नीति से राज्य में उत्पाद शुल्क में आशातीत वृद्धि हुई, किन्तु कुछ नकारात्मक प्रभाव भी स्पष्ट हुए। यह बात सामने आई कि सबसे गरीब तबके के लोगों पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से इसका दुष्प्रभाव सामने आया।

इन्हीं सब कारणों से सरकार को अपनी 2007 की उत्पाद नीति पर पुनर्विचार करने के लिए आवश्यकता महसूस हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में नयी उत्पाद नीति, 2015 बनाने का निर्णय हुआ।

1. **नई उत्पाद नीति, 2015**

इस उत्पाद नीति का लक्ष्य पूरे राज्य में पूर्ण मद्यपान निषेध लागू करना है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। प्रथम चरण में पूरे राज्य में देशी एवं मसालेदार देशी शराब की अनुज्ञप्तियों पर रोक लगेगी। मद्यपान निषेध संविधान के अनुच्छेद–47 के द्वारा राज्य को दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है और राज्य से आशा की जाती है कि वह इसके अनुपालन के लिए सतत् प्रयत्नशील रहे। इस हेतु निम्नलिखित निर्णय किए जायेंगे :–

(क) प्रथम चरण में दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से पूरे राज्य में देशी तथा मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण, व्यापार एवं उपभोग हेतु अनुज्ञप्ति/अनुमति नहीं दी जायगी।

(ख) दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से मात्र शहरी क्षेत्रों में केवल विदेशी शराब/आई0एम0एफ0एल0 ही उपलब्ध कराई जाएंगी। शहरी क्षेत्रों में भी मात्र नगर निगम तथा नगर परिषद् के स्तर पर ही विदेशी शराब/आई0एम0एफ0एल0 उपलब्ध हो सकेगी।

(ग) उपरोक्त सभी विदेशी शराब/आई0एम0एफ0एल0 की दुकानें "ऑफ" होंगी अर्थात् इन दुकानों में वहां बैठकर पीने की व्यवस्था नहीं होगी।

(घ) उपरोक्त अनुसार सभी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगर पंचायत स्तर तक सभी बार और रेस्टोरेंट, जो अभी विदेशी शराब/आई0एम0एफ0एल0 बेचते थे, को अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। बार एवं रेस्टोरेंट हेतु लाईसेंस मात्र नगर निगम तथा नगर परिषद् क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा और वह भी मात्र विदेशी शराब/आई0एम0एफ0एल0 के लिए।

(ङ.) विदेशी शराब/आई0एम0एफ0एल0 की सभी दुकानें जो शहरी क्षेत्र तक सीमित रहेंगी, वह बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीधे नियंत्रण में रहेंगी और बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ही इन दुकानों को चलाएगा। बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा सभी नियमों का पालन किया जायगा एवं वह सरकार को देय अनुज्ञप्ति शुल्क तथा अन्य भुगतान नियमानुसार करेगा। इस हेतु बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य के अन्य लोक उपक्रमों के कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रख सकेगी तथा बेलट्रॉन एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से पर्याप्त संख्या में कार्यबल प्राप्त कर सकेगी।

(च) इस नीति के प्रभावी होने के बाद सभी आसवनियों को आवश्यकतानुसार अपनी आधारित क्षमता के आधार पर छोआ से, सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मात्रा तक, ईथेनॉल बना सकने का अधिकार होगा।

2. प्रर्वतन तंत्र को सुदृढ़ करना

(क) पुलिस एवं उत्पाद के प्रर्वतन तंत्र को मजबूत करने हेतु तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया जाता है कि पुलिस विभाग से पर्याप्त संख्या में अधिकारी एवं अन्य सिपाहियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उत्पाद विभाग में सेवाएं सौंपी जाए। प्रतिनियुक्ति की अन्य शर्त्तें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, गृह विभाग से विमर्श कर तय कर सकेगा।

(ख) जिलों में इन पुलिस अधिकारियों तथा उत्पाद विभाग के अधिकारियों से मद्य निषेध हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को पूर्ण रूप से प्राधिकृत किया जायगा। सभी जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ एक वरीय उप समाहर्त्ता श्रेणी के पदाधिकारी को चिन्हित करेंगे, जिन्हें वरीय उपसमाहर्त्ता (मद्यपान निषेध) कहा जायगा और वे जिले में मद्यपान निषेध के सभी प्रयासों के लिए नोडल अधिकारी होंगे। विभिन्न विभागों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों यथा जीविका के स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी इत्यादि एवं अन्य विभागों के कर्मी यथा–शिक्षक, आशा इत्यादि से सहयोग एवं समन्वय की जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी की होगी।

(ग) मद्य निषेध के क्षेत्र में काम करने वाले पुलिस तथा उत्पाद के अधिकारियों/सिपाहियों को प्रेरित करने के लिए नकद ईनाम देने का भी प्रावधान किया जायगा, जिसके तहत जो उत्पाद अधिकारी/सिपाही, पुलिस अधिकारी/सिपाही अच्छी मात्रा में देशी/विदेशी शराब/आई0एम0एफ0एल0 जब्त करते हैं तो उक्त दल को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मद्य निषेध के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका प्रदान करने के लिए और इस दिशा में सतत् प्रत्यनशील रहने वाले उत्पाद तथा पुलिस के अधिकारी तथा सिपाही को **"उत्पाद पदक"** भी प्रदान किया जाएगा। इस पदक को देने की विस्तृत प्रक्रिया को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, गृह विभाग से परामर्श कर तय कर सकेगा।

(घ) नई उत्पाद नीति में प्रर्वतन तंत्र को सुदृढ़ करना होगा। इस हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव किया जाता है :–

(i) सभी डिस्टीलरी जो राज्य में स्प्रीट बनाते हैं उनका समस्त परिवहन ऐसे टैंकर्स के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें डिजीटल लॉक की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सभी डिस्टीलरी द्वारा की जाएगी।

(ii) उसी प्रकार विदेशी शराब/आई0एम0एफ0एल0 में बोटलिंग प्लान्ट से लेकर बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित गोदाम तक ले जाने का काम जिन ट्रकों द्वारा होगा उनमें भी डिजीटल लॉक की व्यवस्था होगी और वह ट्रक कंटेनर के रूप में होंगे। इसे सुनिश्चित करने के लिए बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत किया जायेगा।

(iii) बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड सभी जिलों में अनिवार्य रूप से एक डिपो विदेशी शराब/आई0एम0एफ0एल0 हेतु रखेगी।

(iv) बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदामों से बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की विदेशी शराब/आई0एम0एफ0एल0 की खुदरा दुकानों तक जो भी परिवहन होगा, वह भी कंटेनर रूपी ट्रकों के माध्यम से होगा और उनमें भी डिजीटल लॉक की व्यवस्था बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को अनिवार्य रूप से करानी होगी।

(v) स्प्रीट के अन्तर्राज्यीय परिवहन को भी नियंत्रण में करने हेतु यह व्यवस्था की जायगी कि जो भी स्प्रीट अथवा विदेशी शराब/आई0एम0एफ0एल0 से भरे टैंकर, जो राज्य में प्रवेश करते हों, उन्हें राज्य की सीमा पर प्रवेश करते ही कंपोजिट चौकी पर डिजीटल लॉक कर दिया जाय और बिहार की सीमा पार करते वक्त वहां की कंपोजिट चौकी पर इस डिजीटल लॉक को खोला जाय। राज्य की सीमा को पार करने के लिए इन टैंकरों अथवा ट्रकों को अधिकतम 24 घंटे का ट्रांजिट समय दिया जायगा।

(vi) इन कम्पोजिट चौकियों को आने वाले समय में बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्ण रूप से संभाले और ऐसी व्यवस्था करनी होगी बिहार राज्य में प्रवेश करने वाले हर टैंकर व ट्रक, जिसमें विदेशी शराब/आई0एम0एफ0एल0/स्प्रीट ले जाई जा रही हो, उनमें डिजीटल लॉक एवं जी0पी0एस0 की व्यवस्था हो।

(vii) प्रर्वत्तन तंत्र को और मजबूत करने तथा तकनीकी रूप से नयी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने हेतु बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड योजना कार्यान्वित करेगा।

3. **स्वैच्छिक मद्य निषेध हेतु प्रयास**

उपरोक्त प्रवर्त्तन तंत्र सुदृढ़ करने के अलावे यह आवश्यक होगा कि सरकार पूरे राज्य में मद्य निषेध का प्रचार–प्रसार करे और मद्यपान से होने वाली दुष्प्रभावों के बारे में आम जन–मानस को सचेत करे। सरकार का यह लक्ष्य है कि सम्पूर्ण राज्य में मद्य निषेध पूर्ण रूप से किया जाय, किन्तु उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि ग्रामीण जनता अपनी स्वेच्छा से मद्य निषेध की ओर बढ़े। मात्र मद्य निषेध कानून बनाने से यह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा और सरकार को अन्य प्रकार के सामाजिक तंत्र पर भी विचार करना होगा, जिससे कि मद्य निषेध का यह अभियान एक जन आंदोलन बन सके। इस निमित्त निम्नलिखित प्रयास किये जायेंगे :–

(क) जो भी गांव जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्ण मद्य निषेध घोषित किया जाता है, उसमें उस निमित्त काम करने वाली जीविका के स्वयं सहायता समूहों को एवं महिला स्वयंसेवी संस्थाओं/समूहों/व्यक्तियों/आशा, आंगनबाड़ी तथा शिक्षक इत्यादि को जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर एक लाख रुपये का अनुदान बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया जायगा।

(ख) नशा मुक्ति को जन आंदोलन बनाने के लिए बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड व्यापक रूप से गांव–देहातों एवं शहरी क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार करेगा और इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा, ताकि मद्य निषेध एक जन आंदोलन का रूप ले सके। इस हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रम जिला एवं ग्रामीण स्तर पर किए जाए, जिससे मदिरा पान की बुराई एवं मद्य निषेध से होने वाले लाभ को जन–जन तक पहुंचाया जा सके। इस काम के लिए बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार के अन्य विभागों की सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(ग) प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा De-addiction सेन्टर खोला जाएगा। उसमें जो लोग नशा के आदि हैं, उनके नशा मुक्ति के लिए उपचार किया जा सकेगा। यह De-addiction सेन्टर जिला पदाधिकारी के पूर्ण नियंत्रण में काम करेगा। De-addiction सेन्टर खोलने संबंधी अन्य प्रशासनिक/वित्तीय निर्णय लेने के लिए एक प्राधिकृत समिति का गठन किया जाता है, जो निम्न प्रकार होगी :–

1.	विकास आयुक्त, बिहार	–	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव, गृह विभाग	–	सदस्य
3.	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	–	सदस्य
5.	प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग	–	सदस्य
6.	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	–	सदस्य
7.	प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग	–	सदस्य
8.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	–	सदस्य
9.	उत्पाद आयुक्त	–	सदस्य
10.	प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	–	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति De-addiction सेन्टर हेतु नियम, आधारभूत संरचना के सृजन, दवाईयों का क्रय एवं सेन्टर चलाने हेतु आवश्यक प्रबंधकों, काउंसलरों तथा IT Experts को रखने हेतु पर्यवेक्षण करेंगी। उक्त समिति, सेन्टर चलाने हेतु व्यापक नियमावली भी बना सकेगी तथा इन सेन्टर्स के कार्यकलापों का अनुश्रवण करने में सक्षम होगी। समिति आवश्यकतानुसार संबंधित जिला पदाधिकारी को भी बैठक में बुला सकेगी।

(घ) मदिरा के दुष्प्रभावों पर जानकारी हेतु वेबसाइट भी बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा खोली जाएगी, जिसमें जन साधारण का सुझाव मद्य निषेध हेतु लिया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा नशाबन्दी के लिए विस्तृत जानकारी जन मानस को दी जाएगी। इस वेबसाइट के जरिये सरकार मदिरापान के दुष्प्रभावों पर न केवल विस्तृत जानकारी देगी, अपितु मद्य निषेध की दिशा में काम करने वाले संस्थाओं का एक नेटवर्क भी कायम करेगी।

4. उपरोक्त उत्पाद नीति के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु एवं राज्य को पूर्ण नशा बन्दी की ओर ले जाने हेतु बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड सभी आवश्यक प्रयास करेगी। ऐसा करने हेतु जितने कार्यबल की आवश्यकता हो वह बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार को उपक्रमों, बेल्ट्रॉन, राज्य सरकार के सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से ले सकेगी।

5. उपरोक्त उत्पाद नीति की प्रभावी ढंग से समीक्षा मुख्य सचिव स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी, जो निम्नलिखित को मिलाकर होगी :–

1.	मुख्य सचिव, बिहार	–	अध्यक्ष
2.	पुलिस महानिदेशक	–	सदस्य
3.	विकास आयुक्त	–	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, गृह विभाग	–	सदस्य
5.	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
6.	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	–	सदस्य
7.	प्रधान सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	–	सदस्य
8.	प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग	–	सदस्य
9.	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	–	सदस्य

10. प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड – सदस्य

11. उत्पाद आयुक्त – सदस्य सचिव

6. इस नीति के लक्ष्यों के अधीन निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग इस नीति को लागू करने हेतु जो आवश्यक दिशा निर्देश बनायेगा, वह इस समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा। जहाँ भी वांछित स्थिति होगी, ऐसी स्थिति में प्रस्ताव राजस्व पर्षद् को अनुमोदनार्थ भेजा जाएगा। समिति उत्पाद नीति के तहत अन्य किसी प्रकार के दिशा–निर्देश देने के लिए सक्षम होगी। समिति नशा मुक्ति, पर्यटन इत्यादि कारणों से विदेशी शराब की दुकानों के आच्छादन की स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार नई दुकानें खोलने पर निर्णय ले सकती है। साथ ही यह समिति फौजी संस्थानों में व्यवस्था हेतु दिशा–निर्देश तय कर सकेगी।

7. यह नीति दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रभावी होगी। इस नीति के प्रभावी होने पर उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के उद्देश्य से लॉटरी द्वारा खुदरा शराब दुकान की अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती नीति, 2007 संबंधी विभागीय संकल्प संख्या–2703, दिनांक 07.06.2007 एवं बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी, विदेशी शराब/ बीयर तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली, 2007 संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या–2704, दिनांक 07.06.2007 के प्रावधान इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0के0 पाठक,
प्रधान सचिव,
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1342-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

जिला स्तरीय मद्य निषेध कार्यक्रम की रूपरेखा (21-1.2016)

1. कार्यशाला का उद्घाटन – जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वल्लन के माध्यम से| (2.30बजे दिन)

2.समूह गान – जीविका द्वारा (मद्य निषेध पर आधारित विशेष)| (2.30 बजे से 3.०० बजे)

3. माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एस० के० मेमोरियल हॉल, पटना से |(3.बजे)

4.जीविका सदस्यों द्वारा मद्य निषेध से सम्बंधित सफल अनुभवों की प्रस्तुति| (3.30 बजे से).

5. उत्पाद अधीक्षक द्वारा मद्य निषेध से सम्बंधित सरकार की अधिसूचना और नीति की व्याख्या|

6. पुलिसअधीक्षक द्वारा मद्य निषेध से सम्बंधित कार्ययोजना|

7. जिलाधिकारी द्वारा मद्य निषेध पर मार्गदर्शन|

8. जिलाधिकारी के नेतृत्व उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मद्य निषेध से सम्बंधित शपथ ग्रहण|

9. धन्यवाद ज्ञापन – जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका)।

Archana Tiwari